उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)
मौलाना अली मियाँ मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर लखनऊ–226008
ई–मेल आई.डी. : **hajcommittee.up@gmail.com, shcuplko@rediffmail.com**
वेबसाइट : **hajcommittee.up.gov.in**

पत्रांक–जी–।।/1540/एस0एच0सी0/लखनऊ/2026 दिनांक 21 फरवरी 2026

–:प्रेस विज्ञप्तिः–

हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई ने अपने सकुर्लर–31 दिनांक 20.02.2026 में अवगत कराया है कि सऊदी अरब सरकार द्वारा हज–2026 के हज यात्रियों के लिए ज़रुरी कर दिया है कि अदाही (जानवरों की कुर्बानी) केवल नुसुक मसार पोर्टल पर उपलब्ध अदाही प्रोजेक्ट के माध्यम से ही की जायेगी।

इसके अन्तर्गत जो हज यात्री अदाही (जानवरों की कुर्बानी) देना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई के पोर्टल पर इसका विकल्प नहीं चुना है, ऐसे यात्रियों हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई ने दिनांक 28.02.2026 तक वेबसाइट **WWW.HAJCOMMITTEE.GOV.IN** पर अपने लॉगिन आईडी व एम–पिन से पोर्टल पर उपलब्ध अपने विवरण में अदाही (जानवरों की कुर्बानी) का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान प्रदान किया है। विकल्प चुनने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 28.02.2026 के बाद विकल्प बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नही किया जायेगा।

किसी भी हज यात्री को सीधे नुसुक मसार पोर्टल पर या किसी प्राइवेट या अनाधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कुर्बानी करने की इज़ाजत नहीं होगी। यह नियम ऐसे सभी हज यात्रियों पर लागू होंगे जो हज यात्रा के दौरान अदाही (जानवरों की कुर्बानी) कराना चाहते हैं।

हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश से जाने वाले समस्त हज यात्रियों से अनुरोध है कि जिनके द्वारा अभी तक अदाही (जानवरों की कुर्बानी) का विकल्प चुना नही गया है तथा वह हज यात्रा के दौरान कुर्बानी कराने के इच्छुक हैं तो वह तत्काल हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाइट **WWW.HAJCOMMITTEE.GOV.IN** पर अपना विकल्प दिनांक 28.02.2026 तक प्रत्येक दशा में चुनकर पोर्टल पर अपनी लागइन आई0डी0 व एम–पिन से अपलोड कर दें।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा0 मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त ट्रेनर, उ0प्र0 ।
8. समस्त स्टेट हज इंस्पेक्टर, उ0प्र0
9. समस्त ट्रेनिंग सेन्टर/ई–सुविधा केन्द्र, उ0प्र0
10. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

(एस0पी0 तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी